

भार्गव आश्रम, हरिद्वार

रामलीला मैदान, बिरला रोड, हरिद्वार-249401 • दूरभाष: (01334) 220576



अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2008 तक आय-व्यय का विवरण इस प्रकार है :-

क्रम	माह	रख रखाव से आय	रख रखाव में व्यय	दान प्राप्ति (यात्रियों द्वारा)	दान एवं आय का योग
1.	अप्रैल 2008	रु. 11,727	रु. 7,076	रु. 8,264	रु. 19,991
2.	मई 2008	रु. 22,486	रु. 8,100	रु. 5,679	रु. 28,165
3.	जून 2008	रु. 32,370	रु. 8,805	रु. 10,233	रु. 42,603
4.	जुलाई 2008	रु. 11,214	रु. 5,261	रु. 2,409	रु. 13,623
5.	अगस्त 2008	रु. 11,430	रु. 14,779	रु. 1,773	रु. 13,203
6.	सितम्बर 2008	रु. 6,362	रु. 11,746	रु. 1,056	रु. 7,418
7.	अक्टूबर 2008	रु. 5,650	रु. 7,912	रु. 2,130	रु. 7,780
8.	नवम्बर 2008	रु. 8,352	रु. 6,628	रु. 4,891	रु. 13,243
9.	दिसम्बर 2008	रु. 4,419	रु. 6,822	रु. 3,908	रु. 8,327
	कुल योग	रु. 1,14,010	रु. 77,129	रु. 40,343	रु. 1,54,353

नोट : इन नौ महीनों में आश्रम की कुल आय रख-रखाव से 1,14,010 रुपये तथा कुल व्यय 77,129 रुपये हुए। अर्थात् 36,881 रुपये का लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त दान स्वरूप 40,343 रुपये अन्य प्राप्त हुए।

अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2008 में प्राप्त दान का विवरण

नाम	नगर	रुपये	नाम	नगर	रुपये
1. श्री भारत (वसंत कुंज)	दिल्ली	200	5. श्री सुरेन्द्र नाथ (विजय नगर)	इन्दौर	51
2. श्री भूपेश (दिल्ली गेट)	अलवर	100	6. श्री गौरव (मुंशी बाग)	अलवर	151
3. श्री राजीव (नया पुरा)	कोटा	575	7. श्री राम बाबू (मुंशी बाग)	अलवर	101
4. श्री प्रदीप (किटियानी)	मन्दसौर	500	8. श्रीमती प्रेमलता (वसुंधरा एन.)	दिल्ली	101

नाम	नगर	रुपये	नाम	नगर	रुपये
9. श्री सुरेश-श्रीमती नीरा (सिद्धार्थ) दिल्ली		5,000	39. श्री आर.आर. भार्गव (गनेश बस्ती) भटिण्डा		101
10. सुन्दरकाण्ड कार्यक्रम की ओर से		201	40. श्री राधा रमण (कटहली बाजार) सिरोंज		1,001
11. श्री निखिल (ऑक्सफोर्ड अपा.) दिल्ली		40	41. श्री ज्ञान प्रकाश (लखनपुर)	कानपुर	501
12. श्री विकास (सिविल लाइंस) मुजफ्फरनगर		20	42. श्री विनोद (गांधी नगर)	अलवर	251
13. श्री सत्येन्द्र नाथ (शिवाजी मार्ग) लखनऊ		101	43. श्री सुरेश चन्द्र (जी.टी.के. रोड) दिल्ली		36
14. श्रीमती रिद्धि (राणा प्रताप मार्ग) लखनऊ		101	44. श्री अजय (सदर चौक बाजार) मेरठ		101
15. श्री चन्दूलाल (धारतावाला) देहरादून		20	45. श्री राजीव (आनंद विहार) दिल्ली		101
16. श्री बी.एन. भार्गव (पुलिस लाइंस) अजमेर		51	46. श्री सुमित (अम्बेडकर नगर) हरिद्वार		101
17. श्री ए.के. भार्गव (मान सरोवर) जयपुर		100	47. श्री कपिल (मयूर विहार-11) दिल्ली		67
18. श्री आर.के. भार्गव (नेहरू नगर) गाजियाबाद		151	48. श्री दिनेश (लोहा मंडी) आगरा		101
19. श्री मुकेश (टोंक रोड) जयपुर		100	49. श्री अमन (घीया मण्डी) मथुरा		50
20. श्री एम.सी. भार्गव (टैगोर गार्डन) दिल्ली		100	50. डा. सुभाष (गोकुल नगर) उदयपुर		110
21. श्री तरून (मधुवन कॉलोनी) दिल्ली		500	51. श्री सरदार सिंह (के.ई.एम. रोड) बीकानेर		50
22. श्री भारत (न्यू आवास विकास) सहारनपुर		150	52. श्री उमेश (सर्कूलर रोड) रेवाड़ी		151
23. श्री निलय (बड़ नगर) उज्जैन		345	53. श्री कंवर किशोर (भार्गव लेन) रेवाड़ी		151
24. श्री सतीश कुमार (सुभाष गली) भटिण्डा		120	54. श्री चन्द्र भान (गुरू रामदास नगर) दिल्ली		101
25. श्री नरसिंग दास (ताप्ती मेन रोड) मुलताई		51	55. श्री संजय (कुतुबपुर) रेवाड़ी		151
26. श्री एल.एन. भार्गव (सांगानेर) जयपुर		51	56. श्री अरूण कुमार (मयूर विहार-11) दिल्ली		130
27. श्री हर प्रसाद (शीतला गली) आगरा		251	57. श्री हरीश कुमार (काला कुंआ) अलवर		95
28. श्री के.एन. भार्गव (विज्ञान नगर) कोटा		1,001	58. श्री आर.पी. भार्गव (ए.पी.सेन रोड) लखनऊ		201
29. श्री राकेश (अलकनंदा) दिल्ली		250	59. श्री मुकुल (बरकत नगर) जयपुर		101
30. श्री दिनेश (कृष्णा नगर) दिल्ली		101	60. श्री प्रीतम (ईस्ट रोहतास नगर) दिल्ली		50
31. श्री लकी (दादाबाड़ी) कोटा		500	61. श्री राधाकृष्ण (विकास मार्ग) दिल्ली		100
32. श्री दीपक (छाता) मथुरा		151	62. श्री भूपेन्द्र कुमार (हा.बोर्ड) जोधपुर		50
33. श्री भरत लाल (कायस्थवाड़ा) रेवाड़ी		101	63. श्री रविन्द्र (ब्रह्मपुरी) दिल्ली		101
34. श्री मदन लाल (अंसारी मार्ग) देहरादून		101	64. श्री राकेश (कायस्थवाड़ा) रेवाड़ी		101
35. श्री विजय (के.एस. गार्डन) जयपुर		101	65. श्री अर्जुन (फैजाबाद रोड) लखनऊ		90
36. श्री गोपाल (लक्ष्मी नगर) दिल्ली		51	66. श्री राजू (द्वारका) दिल्ली		75
37. श्री राकेश (स्टेट बैंक कॉलोनी) दिल्ली		60	67. श्री राजेश-संध्या (पीतमपुरा) दिल्ली		500
38. श्री सुनील कुमार (नरगिस नगर) जयपुर		101	68. श्री राजेश (उत्तम नगर) दिल्ली		60

नाम	नगर	रुपये	नाम	नगर	रुपये
69. श्री विशाल (रानीसर बास)	बीकानेर	71	99. श्री रॉकी (सुभाष चौक)	जयपुर	101
70. श्रीमती मृदुला (आदर्श नगर)	अजमेर	251	100. श्री राजेश (उत्तम नगर)	नई दिल्ली	60
71. श्री विपुल (आनन्द विहार)	दिल्ली	80	101. श्री उमेश (सैक्टर 31)	नोएडा	50
72. श्रीमती राजकुमारी (गांधी नगर)	बीकानेर	1,000	102. श्री पप्पू झुन्झुनवाला	दिल्ली	101
73. श्री हरि प्रकाश (अशोक नगर)	आगरा	40	103. श्री सतीश्वर सहाय (खुशवक्त)	रेवाड़ी	251
74. श्री मुकेश (द्वारका)	दिल्ली	101	104. श्री दीपक (पुलिस लाइन)	अजमेर	101
75. श्री राजेश (टोंक रोड)	जयपुर	500	105. श्री अतुल (द्वारका)	दिल्ली	101
76. श्रीमती निर्मल (पाण्डव नगर)	दिल्ली	5,100	106. श्री आर.के. भार्गव (सुभाष बाजार)	आगरा	45
77. श्री अरूण (मयूर विहार-11)	दिल्ली	151	107. श्री दीपक (पोहारी रोड)	शिवपुरी	51
78. श्री महेश (बापू नगर)	अजमेर	101	108. श्री आर.के. भार्गव (सैक्टर 41)	गुडगाँव	100
79. श्री अमित (आर.पी. कालोनी)	ग्वालियर	101	109. ले.क. मुकेश (जलवायु विहार)	गुडगाँव	500
80. श्री गोपाल (लक्ष्मी नगर)	दिल्ली	51	110. श्री शरद (खातीपुरा)	इन्दौर	60
81. श्री भूपेन्द्र (अग्रवाल फार्म)	जयपुर	100	111. श्री ए.के. भार्गव (ईसाई टोला)	झांसी	101
82. श्री अंकुर (तिवाड़ी का कुँआ)	अलवर	101	112. श्री बी.पी. भार्गव (मालवीय नगर)	जयपुर	101
83. श्री अमित (नेहरू नगर)	गाजियाबाद	101	113. श्री नरेश (शास्त्री नगर)	जयपुर	50
84. श्री के.पी. भार्गव (काहादेव)	कानपुर	51	114. श्री सुरेन्द्र कुमार (भूपालपुरा)	उदयपुर	51
85. श्री विनोद (होटल सूर्य किरन)	मंसूरी	101	115. श्री अभिषेक (पीतमपुरा)	दिल्ली	51
86. श्री रवि (सी.आई.टी. रोड)	कोलकाता	30	116. श्री राजुल (सर्वोदय नगर)	कानपुर	230
87. श्री जी.पी. भार्गव (गोपाल बाड़ी)	जयपुर	101	117. श्री शैलेश (आमेर रोड)	जयपुर	101
88. श्री एम.के. भार्गव (बलवंत नगर)	ग्वालियर	201	118. श्री कमलेश्वर (प्रियदर्शनी विहार)	दिल्ली	31
89. श्री अशोक (आर्य नगर)	अलवर	101	119. श्री आलोक (बाई का बाग)	इलाहाबाद	57
90. श्री सुभाष (स्कीम नं.2)	अलवर	101	120. श्री कपिल (रानी सती नगर)	जयपुर	100
91. श्री हरि शंकर (ताप्ती क्लॉथ स्टोर)	मुलताई	101	121. श्री अनुज (सी स्कीम)	जयपुर	35
92. श्री प्रदीप (पाण्डु नगर)	कानपुर	501	122. श्री देवेन्द्र (दरियागंज)	दिल्ली	100
93. श्री सुखदेव चरन (राम गली)	रेवाड़ी	101	123. डा. लक्ष्मन स्वरूप (दादाबाड़ी)	कोटा	100
94. श्री अंकित (भोपालपुरा)	उदयपुर	101	124. श्री दीपक (मालवीय नगर)	जयपुर	51
95. श्री आलोक (बाई का बाग)	इलाहाबाद	65	125. श्री राकेश (मान सरोवर)	जयपुर	61
96. श्री दिवाकर (राम नगर)	गाजियाबाद	51	126. श्री अरूण (गोपाल मौहल्ला)	चन्दौसी	40
97. श्री पियूष (नेहरू नगर)	गाजियाबाद	101	127. श्री विनीत (पूरवावाली)	रुड़की	101
98. श्रीमती प्रतिभा-श्री अशोक	यू.एस.ए.	500	128. श्री हर्ष (यपरल)	सिकन्दराबाद	151

भार्गव विवाह रीति-संग्रह

भार्गव जाति में प्रचलित विवाह सम्बन्धी रीतियों की आदर्श मार्गदर्शिका के कुछ मुख्य अंश

भार्गव जाति में विवाह के अवसर पर सम्पन्न होने वाले कार्य तथा समाज में आदर्श एवं स्वस्थ परम्परा अपनाने के उद्देश्य से भार्गव रीति-संग्रह सर्वप्रथम आगरा जुबली सम्मेलन 1939 में पारित किया गया तथा समय-समय पर समयानुकूल परिवर्तन भी हुये हैं।

अन्तिम बार 1999 में भार्गव रीति-संग्रह में संशोधन पर विचार किया गया तथा सभी स्थानीय सभाओं एवं अनेक वरिष्ठ सदस्यों से सुझाव आमन्त्रित किये गये तथा उत्तम सुझावों का समावेश किया गया तथा भार्गव विवाह रीति-संग्रह को एक आदर्श विवाह रीति मार्गदर्शिका के रूप में पारित किया गया, जिसके कुछ मुख्य अंश नीचे दिये जा रहे हैं।

धारा 5. सम्बन्ध से पूर्व

सम्बन्ध निश्चय करने से पहले दोनों पक्षों को जन्म पत्रियों का मिलान (यदि उसमें आस्था रखते हों) कर लेना चाहिये। दोनों पक्षों का एक दूसरे को हर दृष्टि से देख-समझ लेना तथा लड़के-लड़कियों का मिलकर अपनी सहमति देना अति आवश्यक है। लड़के तथा लड़की दोनों की आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आय इत्यादि का सही विवरण देना चाहिये। इसमें दोनों पक्षों को किसी भी तरह का दुराव-छिपाव नहीं करना चाहिये, जिससे भविष्य में कटुता व समस्याएं पैदा न हों।

सम्बन्ध पक्का होने के पश्चात सम्बन्ध तोड़ना अवांछनीय व निंदनीय है। मनमुटाव होने पर एक अथवा अनेक वरिष्ठ सम्माननीय विश्वासी जाति बन्धुओं की मध्यस्थता से वैचारिक विषमता को समाप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिये। किसी कारणवश यदि विवाह पूर्व ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जायें तथा ऐसा प्रतीत होता हो कि उस रिश्ते से लड़के अथवा लड़की का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा तो आपसी बातचीत कर सम्बन्ध न करना ही उचित होगा।

धारा 11. जब कन्या पक्ष वर पक्ष के नगर से विवाह करता है

वर पक्ष का कर्तव्य

- (1) कन्या पक्ष को ठहराने, विवाह स्थल, स्वागत समारोह स्थल, टेन्ट हाऊस, हलवाई एवं स्थानीय खरीदारी के लिए उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग करें।
- (2) विवाह के अवसर पर स्वागत समारोह में वर पक्ष की ओर से अधिक व्यक्ति आमंत्रित नहीं हों ताकि कन्या पक्ष को असुविधा न हो तथा वह उचित स्वागत कर सकें। अधिक बारातियों के होने पर वर पक्ष को पहल करके कन्या पक्ष के खर्चे में सहयोग करना श्रेयस्कर होगा।

कन्या पक्ष का कर्तव्य

- (1) विवाह तिथि के 3-4 माह पूर्व उस नगर में जाकर अपने ठहरने, विवाह स्थल, स्वागत समारोह स्थल, हलवाई एवं अन्य व्यवस्था करके एडवॉन्स आदि देकर आएं।
- (2) विवाह के दो या तीन दिन पूर्व जाकर सभी व्यवस्था को पूर्ण रूप से देख लें जिससे विवाह के अवसर पर कोई कठिनाई न हो।
- (3) कन्या पक्ष अपने स्थानीय आवागमन व्यवस्था का भी प्रबन्ध स्वयं करें।
- (4) विवाह सम्पन्न होने के पश्चात दो या तीन व्यक्ति अतिरिक्त ठहरकर सम्पूर्ण हिसाब आदि करके जाएं।

धारा 14. दिन का विवाह

विवाह का दिन में होना श्रेयस्कर होगा। इससे खर्च कम होगा। सभी कार्य शांतिपूर्वक, सुगमता और समय से होंगे। इससे अनेक अन्य सुविधाएँ व लाभ हैं :-

- (1) घोड़ी, बाजा, बिजली तथा जेनरेटर इत्यादि का खर्च आधे से भी कम होगा।
- (2) बारात को दो दिन ठहरने की विवशता नहीं होगी।
- (3) जनवासे का 2 दिन का खर्च नहीं पड़ेगा।
- (4) बाराती व अन्य सम्बन्धी एक दिन में ही सभी कार्यो में सम्मिलित होकर अपनी दिनचर्या पुनः प्रारम्भ कर सकेंगे।
- (5) भोजन इत्यादि पर भी खर्चा कम पड़ेगा।
- (6) विवाह बहुत शांतपूर्ण व तनाव रहित वातावरण में होगा।
- (7) शुभ मुहूर्त के समय का पालन हो सकेगा।
- (8) देर रात्रि में सभी रीति-रिवाज विधि पूर्वक नहीं हो पाते हैं।
- (9) देर रात तक जागने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रायः बच्चे, वयोवृद्ध लोग अधिक देर तक नहीं जाग पाते हैं।
- (10) निमन्त्रित मित्र व सम्बन्धियों को रात में लौटने में जान-मान का खतरा न होगा।

धारा 15. मांगलिक अवसरों पर सत्कार

सगाई, लगन, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर मंगल गान गवाये जा सकते हैं। आगन्तुकों का यथासम्भव सत्कार सामर्थ्य अनुसार किया जाना चाहिये। जहाँ तक हो सके व्यर्थ का आडम्बर न करें।

धारा 16. शालीनता/आचरण

वैवाहिक अवसर पर अथवा अन्य मांगलिक अवसर पर मद्यपान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहना चाहिए। रास्ते में नाचना आज बहुत प्रचलित हो गया है। विवाह आदि अवसरों पर नृत्य व गान अवश्य ही हमारे उत्साह व उमंग के प्रतीक हैं, पर रास्ते में सड़क पर नाचना व रास्ता रोक कर आम जनता को कष्ट पहुँचाना, उल्लास व उमंग का भौंडा प्रदर्शन है जो धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अवांछनीय है। हमें चाहिये अपनी संस्कृति के अनुरूप उत्साह व हर्ष को बाँटें। कन्या पक्ष के सभी स्वजनों व अतिथियों को भी अपने आनन्द में शामिल करें। अतः अच्छा होगा कि कन्या पक्ष द्वारा उपलब्ध सुरक्षित विवाह प्रांगण में ही नृत्य-गान का प्रदर्शन करें।

न्यातगुरी हेतु एक विशेष अनुग्रह

जयमाल के पश्चात आजकल प्रायः लड़का व लड़की स्टेज पर बैठ जाते हैं तथा सभी आमंत्रित बन्धु-बान्धव आकर उन्हें आशीर्वाद व भेंट इत्यादि देते हैं तथा उनका परिचय वर-वधू से कराया जाता है। इस अवसर को चिरस्मरणीय बनाने हेतु विडियो फिल्म तथा स्टिल फोटोग्राफी का उपयोग किया जाता है।

न्यातगुरी एक ऐसी प्रथा थी, जिसमें दोनों पक्षों के निकट सम्बन्धी तथा मित्रों का परिचय एक-दूसरे से कराया जाता था। अब यह प्रथा प्रायः समाप्त सी हो रही है यद्यपि इसकी आवश्यकता और उपयोगिता के सभी समर्थक हैं। यदि सुचारू रूप से पूर्व नियोजित योजनाबद्ध तरीके से मंच से उद्घोषणा द्वारा वर तथा वधू के परिवार के सदस्यों को एक-एक करके बुलाया जाए तथा उनका परिचय फोटोग्राफी के साथ-साथ कराया जाए तो दोनों कार्य सुगमता एवं सुरुचिपूर्ण तरीके से पूरे होंगे। इस कार्य को सम्पन्न कराने के लिये परिचय कराने वाले एक दो व्यक्ति होने चाहियें। दोनों परिवारों के कुछ सदस्यों को इस कार्य में सहायता करनी चाहिये। इस प्रकार से परिचय, फोटोग्राफी, वर-वधू को आशीर्वाद का कार्यक्रम एक साथ हो जायेगा। अवश्य ही उक्त प्रथा से हमारे छोटे समाज में प्रेम और परिचय बढ़ेगा। इसी अवसर पर वर पक्ष विभिन्न कार्यों हेतु दान देने की घोषणा करें।

दिन में हो विवाह, सादगी का हो निर्वाह।



विवाह किसी स्पर्द्धा का अवसर नहीं है।

हमको भव्यता के स्थान पर सौम्यता का प्रदर्शन करना चाहिए।



विवाह आनन्द व उल्लास का पर्व है।

उसमें भाईचारे का भाव व सहजता होनी चाहिए।

अनावश्यक और खोखले दिखावे से बचना चाहिए।